

कार्यालय- निदेशालय, महिला अधिकारिता  
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर

Email- shgcell.we@rajasthan.gov.in दूरभाष 0141-2716421

क्रमांक- एफ19/0निमअ/Back to work/00060/2021-22/ 46961 जयपुर, दिनांक 25/11/23

निदेशक

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

राज0, जयपुर

**विषय:-** जागृति बैक टू वर्क योजनान्तर्गत पूर्व में जारी विज्ञप्ति का समय बढ़ाने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग की जागृति बैक टू वर्क योजनान्तर्गत सी.एस.आर. के तहत कार्य करने हेतु संस्था का चयन करने हेतु दिनांक 13.01.2023 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी प्रशासनिक कारणों से इच्छुक संस्थाओं द्वारा आवेदन करने की अंतिम दिनांक बढ़ाते हुए 13.02.2023 की जानी है। इस हेतु संलग्न संशोधित विज्ञप्ति को राज्य स्तरीय दो मुख्य समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका के समस्त राजस्थान संस्करण में न्यूनतम आकार में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।

संलग्न:- संशोधित विज्ञप्ति।

(डॉ. अजय कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक, (SHG)  
महिला अधिकारिता

Signature valid

Digitally signed by Ajay Kaushik  
Designation: Additional Director  
Date: 2023.01.24 19:18:24 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3070614





राजस्थान सरकार  
निदेशालय महिला अधिकारिता

Email- shgcell.we@rajasthan.gov.in दूरभाष 0141-2716421



संशोधित विज्ञप्ति

निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग की जागृति बैक टू वर्क योजनान्तर्गत कुशल, प्रोफेशनल एवं अनुभवी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु जॉब प्रदाताओं व महिलाओं के बीच समन्वय करने वाली संस्थाओं की आवश्यकता है। सी.एस.आर. के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था का चयन करने हेतु दिनांक 13.01.2023 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी जिसकी अंतिम तिथि बढ़ाते हुए 13.02.2023 की गई है। आवेदन हेतु विस्तृत जानकारी वेब साइट [wcd.rajasthan.gov.in](http://wcd.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।